## <u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.-102/16</u> <u>संस्थापित दिनांक-26.04.2016</u> Filling no-235103001252016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)।

.....अभियोजन

## विरुद्ध

1—खलक सिंह पुत्र शिवराज यादव, आयु—30 साल। 2—हरिसिंह पुत्र शिवराज यादव, आयु—28 साल। 3—भूरा पुत्र शिवराज यादव, आयु—21 साल। 4—अवतार सिंह पुत्र शिवराज यादव, आयु—33 साल, निवासीगण नई बस्ती, नडेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 01.02.2018 को घोषित)</u>

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341/34, 294, 323/34, 324/34, 325/34 (दो—बार) एवं 506 भाग—दो भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि 27.12.2015 को समय सुबह 07:00 बजे तालाब के किनारे ग्राम लड़ेरी थाना चंदेरी में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नत्थू कुशवाह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी नत्थू कुशवाह को मां—बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत शोभराज को लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत प्रीतम को नुकीली लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत नत्थू एवं धर्मेन्द्र के साथ लाठी से मारपीट कर अस्थि भंग कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी नत्थू कुशवाह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 01.02.2018 को राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को भा.द.वि की धारा 341/34, 294, 323/34, 325/34 (दो—बार) एवं 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा यह निर्णय भा.द.वि. की धारा 324/34 के संबंध में किया जा रहा है।

- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी नत्थू हमराह प्रीतम, शोभाराम एवं धर्मेन्द्र के साथ आकर थाना चंदेरी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 27.12.15 को सुबह करीब 7:00 बजे एक गड्ढा पीने के लिये तालाब किनारे गावं के सामने खोदा था, जिस पर से गांव का खलक सिंह यादव टैक्टर से बजरी निकालने पहुंचा तो उसने मजदूरों से मना कर दी, जिस पर से खलक सिंह तथा उसका भाई अवतार सिंह, हरीसिंह एवं भूरा यादव लाठी डंडा लेकर आये उसे रास्ते में रोककर मां—बहन की गंदी—गंदी गालियां देरक मारपीट करने लगे। उसे हरीसिंह तथा खलक सिंह ने उसके दांये हाथ के कोंचा कलाई एवं उंगलियों में चोट पहुंचायी। गाली गलौच सुनकर प्रीतम, धर्मेन्द्र एवं रिस्तेदार शोभाराम आये तो उनकी भी मारपीट की तथा मौके पर राजकुमारी पत्नी श्रीराम, हरीराम, सकीबाई थी जिन्होने घटना को देखा तथा उन्हें बचाया। जाते समय खलक सिंह, हरीसिंह चारों भाई जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 05- राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
  - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.12.2015 को समय सुबह 07:00 बजे तालाब के किनारे ग्राम लडेरी थाना चंदेरी में आहत प्रीतम को नुकीली लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अभियोजन साक्षी नत्थू (अ.सा.—01) ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया है कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। उक्त बात का समर्थन साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.—02), प्रीतम (अ.सा.—03) एवं शोभाराम (अ.सा.—04) ने भी किया है। नत्थू (अ.सा.—01) ने बताया कि नडेरी की पुरानी बस्ती स्थित माता मंदिर के पास की है। मौके पर चारों आरोपीगण आये और उसे लाठी लुहांगी से मारने लगे। अवतार और भूरा ने उसे लात मार दी थी, जिससे वह गिर गया था और उसके सीधे हाथ के पंजे में छिंगली उंगली के पास और बाजू में चोटें आयी थी। उक्त साक्षी ने बताया कि झगडे के बाद धर्मेन्द्र, प्रीतम, शोभाराम तथा वह थाने पर गये और प्रपी—1 की रिपोर्ट लेखब करायी थी।

- 07— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.—02), प्रीतम (अ.सा.—03) एवं शोभाराम (अ.सा.—04) ने उनके कथनों में बताया कि आरोपीगण से गढे से बजरी निकालने को लेकर गाली गलौच एवं धक्का मुक्की हो गयी थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.—02), प्रीतम (अ.सा.—03) एवं शोभाराम (अ.सा.—04) को अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया, बल्कि कथनों में व्यक्त किया कि उन्हें धक्का मुक्की में चोटें आयी थी। उक्त साक्षीगण को उनके पुलिस कथन कमशः प्रपी—3, प्रपी—4 एवं प्रपी—5 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षीगण ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया तथा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण से राजीनामा हो जाने के कारण वे न्यायालय में असत्य कथन कर रहे है।
- 08— आरोपीगण पर आहत प्रीतम को नुकीली लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किये जाने का आरोप है, किंतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में से किसी भी साक्षी द्वारा प्रीतम को नुकीली लाठी से मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किये है। स्वयं प्रीतम अ.सा.—3 द्वारा भी उसके कथनों में आरोपीगण से केवल धक्का मुक्की किये जाने के संबंध में कथन दिये है।
- 09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.12.2015 को समय सुबह 07:00 बजे तालाब के किनारे ग्राम लडेरी थाना चंदेरी में आहत प्रीतम को नुकीली लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण खलक सिंह पुत्र शिवराज यादव, हरीसिंह पुत्र शिवराज यादव, भूरा पुत्र शिवराज यादव एवं अवतार सिंह पुत्र शिवराज यादव, निवासीगण—नई बस्ती नडेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा 324 / 34 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा चार बांसी की लाठी मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायलय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0